

भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2719 जिसका उत्तर
मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 (20 श्रावण, 1948 (शक)) को दिया जाना है

सीफेररों की सुरक्षा

2719 श्री प्रमोद तिवारी:

क्या पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पश्चिम एशिया के संघर्ष के कारण वाणिज्यिक पोतों से संबंधित घटनाओं ने समुद्री सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न की है;
- (ख) यदि हाँ, तो प्रभावित कर्मिंदल के सदस्यों तथा मृत भारतीय सीफेररों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) भारतीय समुद्री कर्मियों की खाड़ी क्षेत्र से स्वदेश वापसी का ब्यौरा क्या है;
- (घ) समुद्री संकट प्रबंधन के अप्रत्याशित स्तर से निपटने तथा प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (ङ) वाणिज्यिक पोत परिवहन, सीफेररों के कल्याण तथा समुद्री व्यापार से संबंधित भावी घटनाओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ङ) पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वाणिज्यिक पोत परिवहन के लिए मैरीटाइम सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं। सरकार पोत स्वामियों, भर्ती एवं नियोजन सेवा अनुज्ञप्ति (आरपीएसएल) एजेंसियों, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों तथा अन्य संबंधित प्राधिकरणों के साथ समन्वय कर प्रभावित भारतीय नाविकों को सहायता प्रदान करने तथा, जहाँ आवश्यक हो, उनकी सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है। समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय (डीजीएमए) के अधीन एक समर्पित 24x7 डीजी कम्युनिकेशन सेंटर तथा एक कल्याण काउंसलर, प्रभावित नाविकों और उनके परिवारों को सहायता एवं समन्वय प्रदान करते हैं। डीजीएमए ने अब तक नाविकों, उनके परिवारों तथा मैरीटाइम क्षेत्र से जुड़े हितधारकों द्वारा सूचना एवं सहायता के लिए किए गए 16,650 से

अधिक फोन कॉलों और 41,580 ई-मेल को हैंडल किया है तथा खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए 4,076 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, 62 जलयानों ने भारत के लिए गंतव्यित कार्गो लेकर होर्मुज़ जलडमरूमध्य से सुरक्षित रूप से पारगमन किया है। जारी संघर्ष के कारण 10 जनहानि की घटनाएँ दर्ज की गई हैं तथा विशेष उच्च जोखिम क्षेत्र योजना के अंतर्गत मृतक नाविकों के निकटतम परिजनों (एनओके) को ₹10 लाख की एकमुश्त अनुग्रह सहायता पहले ही प्रदान की जा चुकी है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों/किए गए उपायों का ब्यौरा अनुबंध में संलग्न है।

भारतीय नाविकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एडवाइजरी:

निम्नलिखित एडवाइजरी, डीजीएस के दिनांक 10.04.2024 के परिपत्र सं. 2024 का 08 के तहत स्थापित स्थायी समुद्री सुरक्षा आर्किटेक्चर के साथ प्रचालित होती हैं और 24-घंटे नियंत्रण कक्ष, समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय के तहत डीजी संचार केंद्र के माध्यम से निरंतर रियल-टाइम मॉनिटरिंग, तथा हर 24 घंटे में एक स्थिति रिपोर्ट जारी किए जाने से समर्थित हैं।

- i. दिनांक 14.01.2026 का डीजीएस परिपत्र सं. 2026 का 01 – विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास, तेहरान के परामर्श के अनुसरण में जारी किया गया, जिसमें सभी भर्ती और प्लेसमेंट सेवा लाइसेंस (आरपीएसएल) कंपनियों तथा पोत परिवहन कंपनियों को अगले आदेशों तक ईरान में भारतीय नाविकों को तैनात न करने की सलाह दी गई है, तथा ईरानी पत्तनों पर जाने वाले या होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले जलयानों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
- ii. दिनांक 28.02.2026 का डीजीएस परिपत्र सं. 2026 का 08 – इसमें लोडट्रिंग म्यूनिशंस, मानवरहित सतही जलयानों और इसी तरह के खतरों को कवर करने वाले व्यापक जलयान - तट सुरक्षा ड्रिल, पारगमन से पहले जलयान सुरक्षा चेतावनी प्रणाली का परीक्षण, स्वामियों, प्रचालकों और चार्टरों द्वारा यात्रा-विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन, जलयान सुरक्षा योजनाओं के पूर्ण कार्यान्वयन, तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि, अवरोधन, इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप या जीएनएसएस व्यवधान की तत्काल डीजी संचार केंद्र को रिपोर्ट करना अनिवार्य किया गया है।
- iii. दिनांक 28.02.2026 का डीजीएस परिपत्र सं. 2026 का 09 - ईरान में बढ़ते तनाव की स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों और शिपिंग हितधारकों के लिए तत्काल एडवाइजरी, जिसमें ईरान में भारतीय नाविकों को सतर्क रहने, भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराने, जहां संभव हो, सुरक्षित प्रस्थान के लिए समन्वय करने की आवश्यकता और हितधारकों को प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय नाविकों का विवरण तत्काल प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
- iv. दिनांक 07.04.2026 का डीजीएस परिपत्र सं. 2026 का 21 - ईरान में पत्तनों में किनारे पर और ईरानी जलक्षेत्र में या उसके आसपास प्रचालित जलयानों पर भारतीय नाविकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें उन्हें अत्यधिक सतर्कता बनाए रखने, तेहरान में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी का पालन करने और कंपनी प्रतिनिधियों के संपर्क में रहने और आवश्यकतानुसार सहायता के लिए डीजीएस आपातकालीन सहायता चैनल का उपयोग करने के निर्देश दिए गए।
- v. दिनांक 13.06.2026 का डीजीएस परिपत्र सं. 2026 का 31 - खाड़ी क्षेत्र में बढ़ी हुई सुरक्षा तनाव को देखते हुए भारतीय नाविकों के लिए सुरक्षात्मक उपाय, जिसमें बढ़ी हुई सुरक्षा सतर्कता को दोहराया गया है, शिपिंग कंपनियों और आरपीएसएल कंपनियों

को अगले आदेश होने तक भारतीय नाविकों को संघर्ष क्षेत्रों में तैनाती पर प्रतिबंध लगाने (सहमति से आपातकालीन क्रू परिवर्तन को छोड़कर), मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग आवश्यकताएं, और सत्यापित सुरक्षा जानकारी का प्रसार करने का निर्देश दिया गया है

- vi. दिनांक 26.06.2026 का डीजीएस परिपत्र सं. 2026 का 33 – स्थिति में सुधार होने पर जारी किया गया, जिसने पिछले प्रतिबंध का अधिक्रमण किया और सावधानी तथा लागू तटीय-राज्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के अध्यक्षीन सामान्य प्रचालन की अनुमति दी; तथा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ), यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (यूकेएमटीओ), एमआईसीए सेंटर और तटीय राज्यों को शामिल करते हुए एक समन्वित निकासी तंत्र का प्रावधान किया।
- vii. दिनांक 15.07.2026 का डीजीएस परिपत्र सं. 2026 का 36 – सुरक्षा स्थिति में पुनः तनाव होने पर जारी किया गया, जिसमें जलयान स्वामियों, जलयान प्रबंधकों और आरपीएसएल कंपनियों को अगले आदेशों तक होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाली यात्राओं पर जाने वाले जलयानों पर भारतीय नाविकों को तैनात न करने की सलाह दी गई है, साथ ही बढ़ी हुई सुरक्षा सतर्कता और अंतर्राष्ट्रीय जलयान और पतन सुविधा सुरक्षा (आईएसपीएस) कोड का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

उक्त क्षेत्र में प्रचालित होने वाले जलयानों और नाविकों के लिए रियल-टाइम रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग तंत्र का विवरण:

- i. दिनांक 01.07.2026 को शुरू किया गया ई-नाविक पोर्टल, एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसमें समर्पित 24x7 समुद्री दुर्घटना रिपोर्टिंग, संकट प्रबंधन और नाविक शिकायत निवारण मॉड्यूल शामिल हैं। यह समुद्री दुर्घटनाओं, सुरक्षा घटनाओं और संकट की स्थितियों की डिजिटल रिपोर्टिंग, संबंधित प्राधिकरणों को घटना रिपोर्टों की स्वचालित रूटिंग, तथा प्रतिक्रिया उपायों और मामलों की प्रगति की रियल-टाइम ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है।
- ii. डीजीएस परिपत्र सं. 2024 का 08 के तहत एक ऑनलाइन जलयान रिपोर्टिंग फॉर्म शुरू किया गया है। इसके माध्यम से फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य, ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर और निकटवर्ती जलक्षेत्रों से गुजरने वाले सभी जलयान अपने विवरण प्रस्तुत करते हैं, इससे एक व्यापक और अद्यतन जलयान डेटाबेस बनाकर रखा जाता है, जो ट्रैकिंग और समन्वय को सुगम बनाता है और किसी भी घटना की स्थिति में भारतीय नौसेना द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है।
- iii. डीजीएस परिपत्र सं. 2026 का 08 के तहत कंपनी सुरक्षा अधिकारी के लिए यह आवश्यकता अनिवार्य की गई है कि वह कर्मी दल की सूची के साथ-साथ जलयान का पूरा विवरण डीजी संचार केंद्र को उपलब्ध कराए।

- iv. भारतीय नौसेना, सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र (आईएफसी-आईओआर) और अन्य सक्षम प्राधिकरणों के साथ समन्वय से, डीजी संचार केंद्र के माध्यम से निरंतर रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जाती है, जहां चौबीसों घंटे अधिकारी तैनात होता है।
- v. हर 24 घंटे में एक स्थिति रिपोर्ट संकलित और जारी की जाती है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, इस क्षेत्र में जलयान-वार स्थिति और प्रत्येक जलयान पर सवार भारतीय नाविकों की संख्या का रिकॉर्ड रखती है।

इस क्षेत्र में परिचालनरत भारतीय नाविकों की संचार, निकासी और स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय:

- i. **संचार:** समर्पित 24-घंटे का नियंत्रण कक्ष और डीजी संचार केंद्र (एमएमडीएसी) हर समय चालू रहते हैं। एक सुस्पष्ट घटना-संचार प्रोटोकॉल के लिए वीएचएफ चैनल 16 पर निकटतम भारतीय नौसेना या कोएलिशन (Coalition) युद्धपोत के साथ संपर्क और डीजी संचार केंद्र, आईएफसी-आईओआर और यूकेएमटीओ को तत्काल सूचना देना अपेक्षित है। हितधारकों को निरंतर आधार पर नौचालन चेतावनी और समुद्रीय सुरक्षा एडवाइजरी प्रसारित की जाती है।
- ii. **निकटतम परिजनों (एनओके) को सहायता:** नाविकों के परिवारों के साथ निकट एवं निकट संपर्क बनाए रखा जाता है तथा जहाँ अपेक्षित हो, समर्पित कल्याण परामर्शदाता की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मृत्यु की स्थिति में, तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें नाविक कल्याण निधि सोसायटी के माध्यम से ₹10,00,000 (दस लाख रुपये) की राशि जारी करना शामिल है।
